रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-73 REGISTERED No. D.(D.)-73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY ... 1976

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 23, 1976/कार्तिक 1, 1898

No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 23, 1976/KARTIKA 1, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि न्याय, और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1976

सा०का०नि० 1493.—भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 443(अ), तारीख 18 अक्तूबर, 1972 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) की अधिसूचना सं० सा०नि०आ० 3216 तारीख, 4 अक्तूबर, 1957 की अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिसूचना' कहा गया है) में आंशिक उपान्तर करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि मैसर्स निस्सो कम्पनी इवाय लि०, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "कम्पनी" कहा गया है) के मामले में, जो एक विदेशी कम्पनी है, उक्त धारा 594 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) की अपेक्षायें जैसी कि वे किसी विदेशी कम्पनी के अपने लागू होने के संबंध में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित की गई हैं, निम्नलिखित अन्य अपवादों तथा उपान्तरों के अध्यधीन रहते हुए लागू होंगी, अर्थात् :—

यदि 31-3-1975 के वित्तीय वर्ष की समाप्ति की बाबत कम्पनी भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रार को, निम्नलिखित की तीन प्रतियां प्रस्तुत करे तो उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जायेगा —

(1) कम्पनी द्वारा अपने निगमन के देश में उस देश के कानून के उपबन्धों के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई, प्रमाणीकृत तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखाओं की प्रति। (जिसमें प्रत्येक अनुषंगी कम्पनी के अभिलेख भी सम्मिलित हों।)

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 592 (1)(घ) के अधीन भारत में आदेशिका तामील की प्रगति के लिये प्राधिकृत व्यक्तियों तथा कम्पनी के दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित तथा भारत में कार्य कर रहे लेखा परीक्षक द्वारा सम्यक्तः लेखा परीक्षित इस आशय का प्रमाण पत्र कि कथित वर्ष में इस कम्पनी की भारत में कोई जायदाद अथवा परिसम्पत्तियां नहीं थीं एवं इसकी भारत में इसके स्वयं के लाभार्थ इसके स्वयं के लेखों में कोई देयताएं नहीं थी तथा कि इसने भारत में कोई व्यापार नहीं किया था, तथा

(3) ऊपर पैरा 2 में वर्णित व्यक्तियों द्वारा सम्यक्तः प्रमाणित भारत में इसकी प्राप्तियों एवं व्ययों का विवरण पत्र।

कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश से।

[फा०सं० 14/20/75-सी०एल० 6]

वेद प्रकाश उप्पल, अवर सचिव

88 G I/76—1

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

नई दिल्ली, 21 मई, 1976

सा०का०नि० 1513.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए तथा आकाशवाणी (श्रेणी-3, पुस्तकाध्यक्ष) भर्ती नियमावली, 1961 का अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 मे अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1 (1) इन नियमो को आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1976 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 की अनुसूची मे, क्रम संख्या 72 तथा तत्संबन्धित प्रविष्टियो के बाद निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात —

अनुसूची

क्रम संख्या	पद का नाम	पद/पदो की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधे भर्ती वाले उम्मीदवारो के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती वाले उम्मीदवारो से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
73	पुस्तकाध्यक्ष (वरिष्ठ)	0	सामान्य केन्द्रीय सेवाएं, श्रेणी-3 अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	380-12-440-द० रो०-15-560-द० रो०-20-640 रुपये	गैर-चयन	* 30 वर्ष	(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री (2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान मे डिप्लोमा, (3) बिबलियोग्राफी और डाक्युमेंटेशन संबन्धी कार्य की जानकारी (4) पुस्तकाध्यक्ष के रूप मे 3 वर्ष का अनुभव।

क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारो के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारो पर भी लागू होंगी ?	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की विधि सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न विधियो से भरी जाने वाली रिक्तियो का प्रतिशत।	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमे भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
9	10	11	12	13	14
नही	2 वर्ष	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	"उन पुस्तकाध्यक्षो (जूनियर) से पदोन्नति जिनकी ग्रेड मे तीन वर्ष की नियमित सेवा हो और नीचे दिए गए राज्यो/राज्यो के समूह मे स्थित आकाशवाणी के केन्द्रो या कार्यालयो मे काम करते हो — *राज्य या राज्यो का समूह 1 असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय 2 आन्ध्र प्रदेश 3 बिहार 4 दिल्ली 5 गुजरात 6 केरल 7 मद्रास, पाण्डीचेरी, अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह 8 कर्नाटक 9 महाराष्ट्र, गोआ 10 मध्य प्रदेश 11 उड़ीसा 12 पंजाब, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर हिमाचल प्रदेश, केन्द्रीय शासित क्षेत्र चंडीगढ़	विभागीय पदोन्नति समिति वर्ग 3	लागू नही होता

9	10	11	12	13	14
			बड़े केन्द्रों के प्रमुख : 1. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, गोहाटी 2. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, हैदराबाद 3. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, मद्रास 4. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, पटना 5. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, अहमदाबाद 6. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, त्रिवेन्द्रम 7 केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, दिल्ली 8. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, बंगलौर 9. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, बम्बई 10. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, भोपाल 11. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, कटक 12. केन्द्र निदेशक आकाशवाणी, जालन्धर 13. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, जयपुर 14. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ 15. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, कलकत्ता *टिप्पणी : प्रत्येक मामले में, भर्ती नियमावली के कालम 7 में निर्दिष्ट आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत (अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप को छोड़कर) के उम्मीदवारों से आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की अन्तिम तारीख होगी। जिन पदों पर नियुक्तियां रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है, उनके बारे में, प्रत्येक मामले में, आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा जाता है।		

1 2	3	4	5	6	7	8
74. पुस्तकाध्यक्ष (जूनियर)	22	सामान्य केन्द्रीय सेवाएं, श्रेणी-3, अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय	330-10-द०रो०-12 500-द०रो०-15-560 रुपये	लागू नहीं होता	25 वर्ष	(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री, और (2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	रोजगार कार्यालय के माध्यम से 100 प्रतिशत	लागू नहीं होता टिप्पणी प्रत्येक मामले में, भर्ती नियमावली के कालम 7 में विनिर्दिष्ट आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत (अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप को छोड़कर) के उम्मीदवारों से आवेदन-पत्रों के प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी। जिन पदों पर नियुक्तियां रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती हैं, उनके बारे में, प्रत्येक मामले में, आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख, वह तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा जाता है।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[फाइल सं० 1/3/74-बी(ए)]

मोहन लाल ट , अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 21st May, 1976

G.S.R. 1513.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Radio (Class III, Librarian) Recruitment Rules, 1961, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class III posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, after serial number 72 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

SCHEDULE

S.No.	Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection posts	Age limit for direct recruits.	Educational & other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7	8
73.	Librarian (Senior)	10	General Central Services, Class III Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 380-12-440-EB-15-560-EB-20-640.	Non-Selection	@30 Years.	Degree of a recognised University, (ii) A diploma in Library Science from a recognised University. (iii) Knowledge of Bibliographical and documentation work. (iv) Three years experience as Librarian.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of prottees.	Period of Probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer garades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.
9	10	11	12	13	14
No.	2 years	100% by promotion failing which, by direct recruitment.	*Promotion from amongst Librarian (Junior) having three year's regular service in the grade and working in the Stations or offices of the All India Radio located in the States/Group of States as indicated below:	Departmental Promotion Committee Class III	Not applicable.

8	9	10	11	12	13	14
				* States or Group of States. 1. Assam, Nagaland, Manipur, Tripura, Arunachal Pradesh, Meghalaya. 2. Andhra Pradesh 3. Bihar 4. Delhi 5. Gujarat 6. Kerala 7. Madras, Pondicherry, Andaman & Nicobar Island 8. Karnataka 9. Maharashtra, Goa 10. Madhya Pradesh 11. Orissa 12. Punjab, Haryana, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Union Territory of Chandigarh. Heads of Major Stations: 1. Station Director, All India Radio, Gauhati. 2. Station Director, All India Radio, Hyderabad. 3. Station Director, All India Radio, Madras. 4. Station Director, All India Radio, Patna. 5. Station Director, All India Radio, Ahmedabad 6. Station Director, All India Radio, Trivandrum. 7. Station Director, All India Radio, Delhi. 8. Station Director, All India Radio, Bangalore. 9. Station Director, All India Radio, Bombay. 10. Station Director, All India Radio, Bhopal. 11. Station Director, All India Radio, Cuttack. 12. Station Director, All India Radio, Jullundur. 13. Station Director, All India Radio, Jaipur. 14. Station Director, All India Radio, Lucknow. 15. Station Director, All India Radio, Calcutta. @Note: The crucial date for determining the age limit mentioned in column 7 of the recruitment rules will, in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit will, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.		

1	2	3	4	5	6	7	8
74.	Librarian (Junior)	22	General Central Services, Class III Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560	Not applicable	25 years.	A Degree of a recognised University; and (ii) A diploma in Library Science from a recognised University.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years	100% through Employment Exchange.	Not applicable @Note: The crucial date for determining the age limit mentioned in col. 7 of the recruitment rules will, in each case, be the colosing date for receipt of applications from candidates in India (Other than Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.) In respect of posts, the appointment, to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determinging the age limit will, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	Not applicable	Not applicable.

[F. No. 1/3/74-B(A)].
M. L. TANDON, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1976

सा०का०नि० 1514.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का नाम विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (वर्ग 2 पद) भर्ती (तृतीय संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1971 की अनुसूची में, क्रम संख्या 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8
3	लेखा अधिकारी	4	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित।	840-40-1000-द० रो०-40-1200 रु०	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	दो वर्ष	(1) 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (2) 25 प्रतिशत स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा। टिप्पण : विहित प्रतिशतता पदों की बाबत है न कि रिक्तियों की बाबत।	प्रोन्नति : विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में के ऐसे ज्येष्ठ लेखापाल जो इस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 8 वर्ष सेवा कर चुके हों। **स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति :** लेखा अधिकारी या लेखा परीक्षा अधिकारी की पंक्ति के अधिकारी या अधीनस्थ लेखा सेवा के लेखापाल जो किसी संगठित लेखा विभाग जैसे कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, भारतीय रक्षा लेखा विभाग, भारतीय रेल लेखा विभाग, डाकतार वित्त तथा लेखा विभाग में नियमित रूप से 5 वर्ष सेवा कर चुके हों। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	समूह 'ख' वि० प्रो० समिति— (1) निदेशक (2) वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी (3) उप निदेशक (प्रशासन)	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा-पेक्षित

[संख्या ए-12018/6/72-स्थापना-1/डी एस (आई)]
आर० सी० त्रिपाठी, उप सचिव